

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक: 17 मई, 2023

विषय: सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन।

महोदय,

निर्माण परियोजनाओं में सेन्टेज चार्जेज(प्रतिशत प्रभार),निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति आदि से सम्बन्धित व्यवस्थाएँ वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-87-दस-97-17(4)-75, दिनांक 27 फरवरी, 1997 तथा इसके क्रम में जारी शासनादेश संख्या-ए-2-225-दस-98-17(4)/75, दिनांक 19 अगस्त, 1998 व संख्या-ए-2-1118-दस-99-17(4)/75, दिनांक 24 मार्च, 1999, नगर विकास अनुभाग-5 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-3058/नौ-5-2004-145सा/2004 दिनांक 22 दिसम्बर, 2004, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)-75, दिनांक 25 जनवरी, 2011, वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-901/दस - 2011-231/2011, दिनांक 21 मार्च, 2011, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-616/दस-2014-17(4)-75 टी०सी०(डी) , दिनांक 28 मार्च , 2014 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)-75, दिनांक 11 नवम्बर , 2014 में की गयी हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्माण परियोजनाओं में सेन्टेज चार्जेज(प्रतिशत प्रभार),निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति आदि से सम्बन्धित विद्यमान व्यवस्था में संशोधन करते हुए श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष निम्नवत् आदेश दिये गये हैं:-

1- सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार):-

(1) वर्तमान में सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों तथा स्वायत्तशासी कार्यदायी संस्थाओं में लागू सेन्टेज दरों की एक समान दर (12.5 प्रतिशत) को समाप्त किया जाता है।

-- 2--

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21 मार्च, 2011 के प्रस्तर-2 (3) के अनुसार राजकीय निर्माण विभागों/इकाइयों के विभागीय कार्यों पर सेंटेज दर (6.875 प्रतिशत) को परियोजना की लागत पर जोड़ने व उसे राजकोष में जमा किये जाने की व्यवस्था समाप्त की जाती है।

(3) सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा कार्यदायी संस्थाओं के रूप में किये जाने वाले कार्यों पर कुल लागत में से लागत का 5 प्रतिशत घटाने के बाद उपलब्ध लागत पर निम्नलिखित स्लैब के अनुसार सेंटेज दरों (प्रतिशत प्रभार) की व्यवस्था को लागू किया जाता है :-

कार्य की लागत	सेंटेज की दर
रूपये 25 करोड़ तक	10 प्रतिशत
रूपये 25 करोड़ से अधिक एवं रूपये 50 करोड़ तक	8.0 प्रतिशत
रूपये 50 करोड़ से अधिक एवं रूपये 100 करोड़ तक	7.0 प्रतिशत
रूपये 100 करोड़ से अधिक	5.0 प्रतिशत

(4) इन सेंटेज दरों (प्रतिशत प्रभार) में डी०पी०आर० गठन, कार्यों का निष्पादन व लेखा-परीक्षा पर व्यय सम्मिलित है।

2- वित्तीय स्वीकृति:-

(1) प्रारम्भ में किसी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाय, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेंडर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाय। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जाय ताकि कार्यदायी संस्थाओं को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो। इसके लिए कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना की मूल्यांकित लागत एवं टेंडर कॉस्ट की सूचना ससमय प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

(2) कालांतर में यदि किन्हीं कारणों से परियोजना की लागत का पुनरीक्षण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अवशेष कार्यों का मूल्यांकन टेंडर कॉस्ट का संज्ञान लेते हुए किया जाय ताकि अतिरिक्त Cash Outflow की स्थिति न बने।

(3) परियोजनाओं के डी०पी०आर० गठन सहित प्रत्येक चरण हेतु समय सीमा (Time-Line) निर्धारित करते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3- ब्याज वापसी:-

सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों तथा स्वायत्तशासी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अनिवार्य रूप से work-wise ब्याज की धनराशि राजकोष (राज्य की समेकित निधि) में जमा की जाय तथा इसका उल्लेख बैलेंस शीट में अनिवार्य रूप से किया जाये। इस कार्यवाही की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सूचना उक्त संस्थाओं द्वारा नियोजन विभाग, प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को भी दी जाय।

4- वित्तीय क्लोजर:-

(1) सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों तथा स्वायत्तशासी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा परियोजना के पूर्ण होने पर उनका वित्तीय क्लोजर किया जायेगा तथा अपने खातों में परियोजना हेतु प्राप्त धनराशि, व्यय की धनराशि, अवशेष धनराशि तथा अर्जित ब्याज की धनराशि को स्पष्ट रूप में दर्शाया जायेगा। परियोजना पूर्ण होने पर अवशेष धनराशि, यदि कोई हो, को कार्यदायी संस्था द्वारा अविलम्ब राजकोष में जमा किया जाएगा।

(2) वार्षिक रिपोर्ट (Financial Statement/Balance Sheet/Profit & Loss Account) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में नियोजन विभाग, प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से सामान्य रूप से सभी मामलों में लागू होंगे। इस सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)-75, दिनांक 25 जनवरी, 2011, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 का कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-901/दस -2011-231/2011, दिनांक 21 मार्च, 2011, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 का शासनादेश संख्या-ए-2-616/दस-2014-17(4)-75 टी०सी०(डी), दिनांक 28 मार्च, 2014 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-2 का शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)-75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। यदि सेन्टेज चार्जेज आदि के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभागों द्वारा अन्यथा कोई आदेश जारी किये गये हैं तो वे निरस्त समझे जायेंगे। वित्तीय नियम संग्रह में आवश्यक संशोधन यथा-समय किये जायेंगे।

कृपया इस सम्बन्ध में समुचित निर्देश अपने अधीनस्थ सम्बन्धित अधिकारियों को अविलम्ब प्रसारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रशान्त त्रिवेदी

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-01/2023/ए-2-60(1)/दस-2023-17(4)/75, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 4- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग /समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
- 7- प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 9- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 10- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 11- वित्त नियंत्रक/ मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, लोक निर्माणविभाग /सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग /ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ग्रामीण जलापूर्ति एवं नमामि गंगे विभाग /नगर विकास विभाग/लघु सिंचाई विभाग /भूगर्भ जल विभाग, उ.प्र.।
- 12- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 13- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ।
- 14- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
पूर्ण देव उपाध्याय
विशेष सचिव।